



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के अभियोग में 02 अभियुक्त को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व ₹50,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जलालपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-202/2016 धारा-376डी,323,506 आईपीसी एवं 6 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.मुकेश पुत्र मुन्ना कुशवाहा 2.सोनू पुत्र मंगी कुशवाहा निवासीगण बृजलाल का डेरा हसऊपुर कुपरा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को धारा 376डी,323,506 आईपीसी में दोषसिद्ध करते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह



विवेचक-  
निरी0 स्वामीदीन



पैरोकार- थाना जलालपुर  
हे0का0 मनोज सिंह